

अनिवार्य स्थानान्तरण के अन्तर्गत दुर्गम से सुगम क्षेत्र हेतु पात्र कार्मिकों के स्तर से प्राप्त विकल्प सम्बन्धी सूचना  
संवर्ग— श्रेणी-2 पदनाम—सहायनि०/कृ०भू०सं०अ०/कृ०२०अधि०

वर्ष—2022-23

क०सं०	पात्र कार्मिक का नाम	वर्तमान तैनाती स्थल	प्रत्यावेदन प्रस्तुत किया गया है (हां / नहीं)	प्रत्यावेदन (स्वीकृत / अस्वीकृत)	दिये गये विकल्प का विवरण	आवंटित विकल्प
1.	श्री आनन्द गोस्वामी	कृ०भू०सं०अ० थराली	नहीं	-	<ol style="list-style-type: none"> <li>कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, रुद्रपुर</li> <li>कृषि रक्षा अधिकारी ऊधमसिंहनगर</li> <li>कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, धारी</li> <li>कृषि रक्षा अधिकारी नैनीताल</li> <li>कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, हल्द्वानी</li> </ol>	
2.	श्री सुघर सिंह वर्मा	प्र० मु०कृ०अ० बागेश्वर	नहीं	-		
3.	श्री कल्याण सिंह	कृ०भू०सं०अ०, सतपुली	नहीं	-	<ol style="list-style-type: none"> <li>कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, रुद्रपुर</li> <li>कृषि रक्षा अधिकारी ऊधमसिंहनगर</li> <li>कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, भिकियासैण</li> <li>कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, धूमाकोट</li> </ol>	
4.	श्रीमती पूजा पूनेडा	कृ०भू०सं०अ०, पिथौरागढ़	हां			
5.	श्री विनोद कुमार शर्मा	कृ०भू०सं०अ०, बाडेछीना	हां		<ol style="list-style-type: none"> <li>कृ०भू०सं०अ० धारी, नैनीताल</li> <li>कृ०भू०सं०अ० रुद्रपुर</li> <li>कृ०र०अ० ऊधमसिंहनगर</li> <li>कृ०र०अ० अल्मोड़ा</li> <li>कृ०र०अ० नैनीताल</li> <li>क०प्र०रा०भ०सं०प्र०क० मजखाली अल्मोड़ा</li> <li>कृ०भू०सं०अ० भिकियासैण</li> </ol>	
6.	श्रीमती गीतांजली बंगारी	कृ०भू०सं०अ०, बागेश्वर	नहीं	-	<ol style="list-style-type: none"> <li>कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, रुद्रपुर</li> <li>कृषि रक्षा अधिकारी नैनीताल</li> <li>कृषि रक्षा अधिकारी ऊधमसिंहनगर</li> </ol>	
7.	डा० नवीन चन्द्र जोशी	मु०कृ०अ०, बागेश्वर	नहीं	-		
8.	श्री सचिन कुमार	कृ०भू०सं०अ०, उत्तरकाशी	नहीं	-	<ol style="list-style-type: none"> <li>कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, नरेन्द्रनगर</li> <li>कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, चम्बा</li> <li>कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, रुड़की</li> <li>कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, टिहरी</li> <li>कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, रायपुर</li> <li>कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, चक्राता रिथत कालसी</li> </ol>	

22/2/2023


दुर्गम से सुगम क्षेत्र में स्थानान्तरण हेतु पात्र कार्मिकों से प्राप्त प्रत्यावेदन एवं उसके निस्तारण सम्बन्धी विवरण

संवर्ग— श्रेणी—2

पदनाम—सहा०नि०/कृ०भ०सं०अ०/कृ०र०अधि०

वर्ष—2022-23

क्र० सं०	पात्र कार्मिक का नाम	वर्तमान तैनाती स्थल	प्रत्यावेदन		प्रत्यावेदन का विवरण	वांछित राहत	अधिनियम के सुसंगत धारा में प्राविधान	समिति का निर्णय
			प्रेषण तिथि	प्राप्ति तिथि				
1.	श्री विनोद कुमार शर्मा	कृ०भ०सं०अ०, बाड़चीना	21.05.22	23.05.22	पत्नी सहायक अध्यपिका के पद पर विकासखण्ड धौलादेवी, जनपद अल्मोड़ा में कार्यरत है। छूट की मांग की गयी है। प्रमाण पत्र संलग्न नहीं है।	पति—पत्नी राजकीय सेवा में कार्यरत होने पर	धारा—13-3 उत्तराखण्ड सरकार के सेवा में कार्यरत पति—पत्नी एक ही ऐच्छिक स्थान पर रहने का अनुरोध कर सकते हैं।	
2.	श्रीमती पूजा पूनेडा	कृ०भ०सं०अ०, पिथौरागढ़	01.06.22	02.06.22	पति श्री हेमचन्द्र पुनेडा, विकासखण्ड मूनाकोट में शिक्षा विभाग में कार्यरत है। धारा 13-3 के अन्तर्गत छूट की मांग की गयी है। प्रमाण पत्र संलग्न नहीं है।	पति—पत्नी राजकीय सेवा में कार्यरत होने पर	धारा—13-3 उत्तराखण्ड सरकार के सेवा में कार्यरत पति—पत्नी एक ही ऐच्छिक स्थान पर रहने का अनुरोध कर सकते हैं।	



अनिवार्य स्थानान्तरण के अन्तर्गत सुगम से दुर्गम क्षेत्र हेतु पात्र कार्मिकों के स्तर से प्राप्त विकल्प सम्बन्धी सूचना

संवर्ग— श्रेणी-2

पदनाम—सहायनि० / कृ०भ०सं०आ० / कृ०र०अधि०

वर्ष—2022-23

क्र०सं०	पात्र कार्मिक का नाम	वर्तमान तैनाती स्थल	प्रत्यावेदन प्रस्तुत किया गया है (हाँ/ नहीं)	प्रत्यावेदन (स्वीकृत/ अस्वीकृत)	दिये गये विकल्प का विवरण	आवंटित विकल्प
1.	श्री सुरेन्द्र कुमार	कृषि निदेशालय	हाँ		<ol style="list-style-type: none"> <li>कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, सतपुली</li> <li>कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, मोरी</li> <li>कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, उत्तरकाशी</li> <li>कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, गोपेश्वर</li> <li>कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, कर्णप्रयाग</li> </ol>	
2.	श्री विनय कुमार	कृषि निदेशालय	हाँ			
3.	श्रीमती लतिका सिंह	मु०कृ०आ०, देहरादून	हाँ			
4.	श्रीमती संतोषी	मु०कृ०आ०, नैनीताल	नहीं	-	<ol style="list-style-type: none"> <li>कृषि रक्षा अधिकारी, चम्पावत</li> <li>कृषि रक्षा अधिकारी, पिथौरागढ़</li> <li>कृषि रक्षा अधिकारी, बागेश्वर</li> </ol>	
5.	सुश्री प्रियंका सिंह	कृषि निदेशालय	नहीं	-		
6.	श्री विजय देवराड़ी	मु०कृ०आ०, हरिद्वार	नहीं	-		
7.	श्री नारायण सिंह	कृ०भ०स०आ०, धारी	हाँ			
8.	श्री मोहम्मद ताहिर	क्षेत्रीय भूमि परीक्षण प्रयोगशाला उधमसिंहनगर	नहीं	-	<ol style="list-style-type: none"> <li>कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, चम्बा</li> <li>कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, सतपुली</li> <li>कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, धूमाकोट</li> <li>कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, भिकियासैण</li> <li>कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, पादौ</li> </ol>	
9.	श्रीमती विधि उपाध्याय	मु०कृ०आ०, उधमसिंहनगर	हाँ			
10.	श्री अमित कुमार	कृ०भ०स०आ०, रुदपुर	हाँ		<ol style="list-style-type: none"> <li>कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, धारी</li> <li>कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, बाडेछीना</li> <li>कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, भिकियासैण</li> </ol>	
11.	श्री अशोक गिरी	कृषि निदेशालय	हाँ		<ol style="list-style-type: none"> <li>कृषि रक्षा अधिकारी, चम्पावत</li> <li>कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, बाडेछीना</li> <li>कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, बागेश्वर</li> <li>कृषि रक्षा अधिकारी, बागेश्वर</li> </ol>	

# सुगम से दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरण हेतु पात्र कार्मिकों से प्राप्त प्रत्यावेदन एवं उसके निस्तारण सम्बन्धी विवरण

संवर्ग— श्रेणी-2

पदनाम—सहा०नि०/कृ०भ०स०अ०/कृ०र०अधि०

वर्ष—2022-23

क०स०	पात्र कार्मिक का नाम	वर्तमान तैनाती स्थल	प्रत्यावेदन		प्रत्यावेदन का विवरण	वांछित राहत	अधिनियम के सुसंगत धारा में प्राविधान	समिति का निर्णय
			प्रेषण तिथि	प्राप्ति तिथि				
1.	श्रीमती लतिका सिंह	मु०क०अ०, देहरादून	25.05.22	26.05.22	प्रार्थिनी की माता 75 वर्ष की है इनके साथ रहती है अधिकाशंतः तवियत खराब रहती है जिस कारण स्थानान्तरण में इस वर्ष छूट की मांग की गयी है। प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किया गया है।	चिकित्सा	धारा-13-4 के अन्तर्गत गम्भीर रोग से ग्रसित कार्मिक राज्य चिकित्सा परिषद द्वारा प्रदत्त प्रमाण के आधार पर ऐच्छिक क्षेत्र में स्थानान्तरण का अनुरोध कर सकते हैं।	
2.	श्री अशोक गिरी	कृषि निदेशालय	24.5.22	24.05.22	माता पिता का स्वास्थ्य खराब होने के कारण स्थानान्तरण न करने का अनुरोध किया गया है। प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किया गया है।	चिकित्सा	धारा-13-4 के अन्तर्गत गम्भीर रोग से ग्रसित कार्मिक राज्य चिकित्सा परिषद द्वारा प्रदत्त प्रमाण के आधार पर ऐच्छिक क्षेत्र में स्थानान्तरण का अनुरोध कर सकते हैं।	
3.	श्री नारायण सिंह	कृ०भ०स०अ०,धारी	19.05.22	23.05.22	इनकी पत्नी उत्तराखण्ड पावर कार्पोरेशन लिमिटेड में सहायक अभियंता के पद पर जनपद- नैनीताल में कार्यरत है। पति पत्नी के एक ही स्थान पर कार्यरत रहने पर छूट की मांग की गयी है। प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किया गया है।	अनुरोध	धारा-13-3 उत्तराखण्ड सरकार के सेवा में कार्यरत पति-पत्नी एक ही ऐच्छिक स्थान पर रहने का अनुरोध कर सकते हैं।	
4.	श्रीमती विधि उपाध्याय	मु०क०अ०,उधमसिं हनगर	24.05.22	30.05.22	परिवार में सदस्यों का स्वास्थ्य खराब होने के कारण स्थानान्तरण में छूट की मांग की गयी है। मेंबरोर्ड का प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किया गया है।	चिकित्सा	धारा-13-4 के अन्तर्गत गम्भीर रोग से ग्रसित कार्मिक राज्य चिकित्सा परिषद द्वारा प्रदत्त प्रमाण के आधार पर ऐच्छिक क्षेत्र में स्थानान्तरण का अनुरोध कर सकते हैं।	
5.	श्री सुरेन्द्र कुमार	कृषि निदेशालय	30.05.22	31.5.22	परिवार में सदस्य का स्वास्थ्य खराब होने के कारण स्थानान्तरण में छूट की मांग की गयी है। चिकित्सक के पर्व संलग्न है। मेंबरोर्ड का प्रमाण पत्र संलग्न नहीं है।	चिकित्सा	धारा-13-4 के अन्तर्गत गम्भीर रोग से ग्रसित कार्मिक राज्य चिकित्सा परिषद द्वारा प्रदत्त प्रमाण के आधार पर ऐच्छिक क्षेत्र में स्थानान्तरण का अनुरोध कर सकते हैं।	
6.	श्री विनय कुमार	कृषि निदेशालय	-	02.06.22	इनकी पत्नी उत्तराखण्ड पावर ट्रासमिशन कार्पोरेशन आफ उत्तराखण्ड लिमिटेड देहरादून में अवर अभियंता के पद पर कार्यरत है। पति पत्नी के एक ही स्थान पर कार्यरत रहने पर छूट की मांग की गयी है। प्रमाण पत्र संलग्न है।	अनुरोध	धारा-13-3 उत्तराखण्ड सरकार के सेवा में कार्यरत पति-पत्नी एक ही ऐच्छिक स्थान पर रहने का अनुरोध कर सकते हैं।	
7.	श्री अमित कुमार	कृ०भ०स०अ०, रुदपुर	14.06.22	15.06.22	प्रार्थी द्वारा अवगत कराया गया है कि उनकी पत्नी परिवहन कर अधिकारी-2 के पद पर हल्द्वानी जनपद- नैनीताल में कार्यरत है। निजी अनुरोध पर कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, हल्द्वानी के पद पर स्थानान्तरण का अनुरोध किया गया है। प्रमाण पत्र संलग्न नहीं हैं।	अनुरोध	धारा-13-3 उत्तराखण्ड सरकार के सेवा में कार्यरत पति-पत्नी एक ही ऐच्छिक स्थान पर रहने का अनुरोध कर सकते हैं।	

(Signature)

# अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण हेतु कार्मिकों के स्तर से प्राप्त विकल्प सम्बन्धी सूचना

संवर्ग— श्रेणी-2

पदनाम—सहायनि० / कृ०भ०सं०आ० / कृ००३०धि०

वर्ष—2022-23

क०सं०	कार्मिक का नाम	वर्तमान तैनाती स्थल	दिये गये विकल्प का विवरण	अधिनियम में प्राविधान	समिति का निर्णय
1.	श्री गोपाल सिंह भण्डारी	मुख्य कृषि अधिकारी चम्पावत	पत्नी ब्रह्मचाल उत्तरकाशी में फार्मासिस्ट के पद पर कार्यरत है जिस कारण अपना स्थानान्तरण जनपद— उत्तरकाशी, टिहरी, देहरादून में करने का अनुरोध किया गया है। जिससे पारिवारिक दायित्व का निर्वहन कर सके। प्रमाण पत्र संलग्न नहीं है।	धारा-13-३ उत्तराखण्ड सरकार के सेवा में कार्यरत पति—पत्नी एक ही ऐच्छिक स्थान पर रहने का अनुरोध कर सकते हैं।	
2.	श्री भगवान दास	कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, चम्बा	वरिष्ठ कार्मिक है। आर्थराइटिस एवं प्रोस्टट बीमारी से ग्रस्त है जिस कारण स०कृ०परी०प्र०केन्द्र देहरादून अथवा सहायनि० अनुश्रवण देहरादून अथवा उधमसिंहनगर के किसी अन्य इकाई/ अधिकारी में स्थानान्तरण किये जाने का अनुरोध किया गया है। प्रमाण पत्र संलग्न नहीं है।	धारा-13-६ के अन्तर्गत प्राविधान है कि वरिष्ठ कार्मिक अनुरोध के आधार पर ऐच्छिक क्षेत्र में स्थानान्तरण हेतु अनुरोध कर सकते हैं।	
3.	श्री विपिन कुमार सिंह	कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, भिकियासैण	श्री विपिन कुमार द्वारा अवगत कराया गया है कि वे वर्तमान में कृषि रक्षा अधिकारी, अल्मोड़ा के पद पर कार्यरत हैं तथा शासन द्वारा दिनांक 12.02.2021 से कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, भिकियासैण का अतिरिक्त प्रभार सौपा गया है। भिकियासैण एवं अल्मोड़ा की दूरी अधिक होने के कारण राजकीय करने में कठिनाई हो रही है जिस कारण कृषि रक्षा अधिकारी, अल्मोड़ा के पद से कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, भिकियासैण के पद पर करने हेतु अनुरोध किया गया है।	अधिनियम में कोई प्राविधान नहीं है।	
4.	श्री अश्वनी गौतम	राजकीय भूमि संरक्षण प्रशिक्षण केन्द्र पौड़ी गढ़वाल	बालिका का स्वास्थ्य खाराब होने के कारण निम्न विकल्प के अनुसार स्थानान्तरण का अनुरोध किया गया है। 1. कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, सतपुली 2. कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, धूमाकोट 3. कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, पावी प्रमाण पत्र संलग्न नहीं है।	धारा-13-४ के अन्तर्गत गम्भीर रोग से ग्रसित कार्मिक राज्य चिकित्सा परिषद द्वारा प्रदत्त प्रमाण के आधार पर ऐच्छिक क्षेत्र में स्थानान्तरण का अनुरोध कर सकते हैं।	
5.	श्री योगेश रुवाली	कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, गोपेश्वर	पिताजी 02 वर्षों से फेफड़ों के कैंसर से पीड़ित है। जिस कारण निजी अनुरोध पर निम्नानुसार विकल्प प्रस्तुत किया गया है— 1. कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, सतपुली 2. कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, धूमाकोट 3. कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, पावी प्रमाण पत्र संलग्न नहीं है।	धारा-13-४ के अन्तर्गत गम्भीर रोग से ग्रसित कार्मिक राज्य चिकित्सा परिषद द्वारा प्रदत्त प्रमाण के आधार पर ऐच्छिक क्षेत्र में स्थानान्तरण का अनुरोध कर सकते हैं।	
6.	श्री राजेन्द्र उप्रेती	संयुक्त कृषि निदेशक, कुमाऊं मण्डल हल्द्वानी	ब्यक्तिगत परिस्थिति के कारण निजी अनुरोध पर कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, हल्द्वानी या कृषि भूमि संरक्षण अधिकारी रुद्रपुर के पद पर स्थानान्तरण का अनुरोध किया गया है।	अधिनियम में कोई प्राविधान नहीं है।	
7.	श्री राम नरेश गुलेरिया	कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, बड़कोट, उत्तरकाशी	बीमारी के कारण निजी अनुरोध पर स्थानान्तरण का विकल्प प्रस्तुत किया गया है। 1. कृ०भ०सं०आ०, चम्बा 2. कृ०भ०सं०आ०, नरेन्द्रनगर 3. कृ०भ०सं०आ०, रायपुर 4. कृ०भ०सं०आ०, सहसपुर प्रमाण पत्र संलग्न नहीं है।	धारा-13-४ के अन्तर्गत गम्भीर रोग से ग्रसित कार्मिक राज्य चिकित्सा परिषद द्वारा प्रदत्त प्रमाण के आधार पर ऐच्छिक क्षेत्र में स्थानान्तरण का अनुरोध कर सकते हैं।	
8.	श्री धीरज सिंह	कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, हल्द्वानी	वरिष्ठ कार्मिक है। पारिवारिक परिस्थिति के कारण कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, रुद्रपुर करने का निजी अनुरोध किया गया है।	धारा-13-६ के अन्तर्गत प्राविधान है कि वरिष्ठ कार्मिक अनुरोध के आधार पर ऐच्छिक क्षेत्र में स्थानान्तरण हेतु अनुरोध कर सकते हैं।	